मसूरी ईको पर्यटन शुल्क ठेका

नीलामी शर्ते/नियम

क–सामान्य शर्ते :–

1– यह कि मसूरी ईको पर्यटन शुल्क ठेका दिनॉक 01–09–2019 से 31–08–2020 तक 01 वर्ष के लिए टू–विड सिस्टम निविदा के माध्यम से नीलाम किया जायेगा।

2– यह कि अहस्तान्तरणीय निविदा प्रपत्र का क्रय दिनॉक 22–08–2019 से 26–08–2019 तक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सॉय 5:00 बजे तक निर्धारित शुल्क रू0 15,000.00+ जी0एस0टी0 की धनराशि पालिका निधि में जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।

3– यह कि निविदादाता को तकनीकी विड एवं वित्तीय विड सीलबन्द 02 अलग–अलग लिफाफो में डालकर दोनो विड एक बडे लिफाफे में सीलबन्द कर निविदा बॉक्स में नियत दिनॉक 29–08–2019 समय प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक डालना आवश्यक होगा, जिस लिफाफे में तकनीकी विड या वित्तीय विड रखी गयी है उन लिफाफो के ऊपर तकनीकी एवं वित्तीय विड लिखना अनिवार्य होगा।

4– यह कि फर्म की स्थिति मे फर्म का पंजीकरण एवं पार्टनरशीप डीड तथा पावर ऑफ अर्टानी की स्वःप्रमाणित प्रति देनी होगी।

5– यह कि टू–विड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय) की निविदाओ में किसी प्रकार की कटिगं एवं ओवर राइटिगं मान्य नही होगी।

6– यह कि तकनीकी विड में संलग्न सभी दस्तावेज आदि की छायाप्रतियॉ स्वःप्रमाणित करनी आवश्यक होगी।

7– यह कि टू–विड की शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ में निविदादाता अथवा फर्म/कम्पनी के प्रोपराईटर को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

8– यह कि सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

9– यह कि टू–बिड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय) की निविदाये, निविदा समिति द्वारा निविदादाता व उनके अधिकृत प्रतिनिधियो की उपस्थिति में नियत तिथि एवं समय पर खोली जायेगी।

10– यह कि निविदा समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी विड खोली जायेगी, तकनीकी विड में संलग्न दस्तावेजो की जॉच/परीक्षण के उपरान्त तकनीकी विड में सफल निविदादाताओ की वित्तीय विड उसी दिन खोली जा सकती है या अन्य किसी दिन खोलने हेतु तिथि व समय नियत की जा सकती है।

11– यह कि तकनीकी विड में असफल निविदादाता/फर्मो/कम्पनियों की वित्तीय विड सील बन्द रखी जायेगी तथा उसे खोला नही जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

12– यह कि वित्तीय विड यदि किसी अन्य दिन खोलने हेतु तिथि व समय नियत किया जाता है तो उसकी सूचना तकनीकी विड में सफल निविदादाता/फर्मो/कम्पनियों को लिखित में दी जायेगी। वित्तीय विड निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियो की उपस्थिति में खोली जायेगी।

13– यह कि टू–विड सिस्टम में प्राप्त एक या समस्त निविदाओ को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

14– यह कि मसूरी ईको पर्यटन शुल्क ठेका नीलामी के लिए पालिका द्वारा सरकारी अनुमानित लागत रू0 230.00 लाख प्रतिवर्ष होगी। सुरक्षित सरकारी लागत से कम दर की निविदाये मान्य नही होगी।

<u>ख–तकनीकी विड की शर्ते :–</u>

1– यह कि मसूरी ईको पर्यटन शुल्क संचालन हेतु रू0 15.00 लाख जमानत धनराशि की एफ0डी0आर (राष्ट्रीयकृत बैक) से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मसूरी के पदनाम से बंधक कर निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व जमा करनी होगी, निविदा प्रपत्र उसी व्यक्ति/फर्म को दिया जायेगा जो जमानत की धनराशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करेगें।

2– यह कि जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षरो से निर्गत कम से कम रू0 200.00 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा, जो जारी होने की तिथि से 06 माह से पूर्व का ना हो।

3– यह कि जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षरो से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जिसकी अवधि जारी होने की तिथि से 06 माह से अधिक न हो प्रस्तुत करना होगा।

4– यह कि ईको पर्यटन शुल्क के ठेको को संचालन करने सम्बन्धी कम से कम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

5– यह कि उत्तराखण्ड सरकार के आधीन नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में कम से कम एक निकाय में 200.00 लाख तक का सन्तोष जनक एंव र्निविवाद बौरियर संचालन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6– यह कि नगरपालिका परिषद मसूरी की किसी भी देयक का बकायेदार न होने सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र देना होगा।

7– यह कि निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड (फोटोयुक्त आई0डी0) सहित प्रस्तुत करना होगा।

8– यह कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड एवं वाणिज्य कर विभाग का जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा।

9– यह कि विगत 03 वर्षो के आयकर रिटर्न देने होगें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

10– यह कि विगत 03 वर्षो में कम से कम रू0 3.00 करोड का टर्न ओवर एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट देनी होगी।

11– यह कि रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उनके द्वारा तकनीकी विड के साथ संलग्न किये गये सभी प्रमाण पत्र/विवरण सही है और तथ्यो को छिपाया नही गया है।

12– यह कि रू0 100/– के स्टाम्प पेपर में रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि निविदादाता अथवा फर्म किसी भी सरकारी एवं अर्द्वसरकारी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नही है।

ग–नियम :–

1– यह कि सक्षम अधिकारी द्वारा उच्चतम निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उच्चतम निविदा लागत का 1/2 भाग अथवा 50 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की तिथि से 03 दिन के अन्दर पालिका कोष में नगद, बैक ड्राफ्ट अथवा आर0टी0जी0एस0 से जमा करनी होगी।

2– यह कि उच्चतम निविदा लागत की धनराशि जमा करने की तिथि को निबन्धक विभाग के शासनादेश के अनुसार उच्चतम लागत की धनराशि पर निर्धारित स्टाम्प पेपर एवं 02 फोटोग्राफ प्रस्तुत कर ठेके का अनुबन्ध करना होगा।

3– यह कि अनुबन्ध होने के पश्चात कार्यादेश मिलने के बाद ही मसूरी ईको पर्यटन शुल्क संचालन करने का अधिकार होगा।

4– यह कि उच्चतम निविदा लागत की अवशेष 1/2 धनराशि अथवा 50 प्रतिशत क्रमशः दिनॉक 31–01–2020 तक 25 प्रतिशत एवं दिनॉक 30–06–2020 तक शेष 25% धनराशि पालिका कोष में नगद, बैक ड्राफ्ट अथवा आर0टी0जी0एस0 से जमा करनी होगी यदि नियत तिथि तक उपरोक्तानुसार धनराशि जमा नही होती है तो बकाश शेष धनराशि पर मासिक 12.5 % विलम्ब शुल्क सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को देना होगा।

.5– यह कि यदि अनुबन्ध के अनुसार नियत तिथि तक ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्धारित किस्त की धनराशि मय ब्याज सहित जमा नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से मसूरी रोपवे संचालन का ठेका/लाईसेन्स निरस्त करते हुए जमानत की धनराशि जब्त कर बकाया धनराशि भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र पालिका द्वारा जारी कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी की होगी।

6– यह कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त कर जैसे आयकर, जी0एस0टी0 एवं मनोरजंन कर का भुगतान नियमानुसार स्वयं करना होगा एवं समय–समय पर इसका विवरण पालिका को प्रस्तुत करना होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

7– यह कि उत्तराखण्ड शासकीय गजट दिनॉक 27–06–2009 में प्रकाशित मसूरी ईको पर्यटन शुल्क (शुल्क संशोधित) उपविधि–2015 के अनुसार कोल्हूखेत बैरियर में वाहनो के प्रवेश पर निम्नानुसार ईको पर्यटन शुल्क की वसूली की जायेगी।

क्र0सं0	वाहन	ईको पर्यटन शुल्क की धनराशि	अभ्युक्ति
1	बस	150.00+GST	प्रति वाहन/प्रति प्रवेश
2	मेटा डोर/मिनी बस	100.00+GST	प्रति वाहन/प्रति प्रवेश
3	कार/जीप/वैन	50.00+GST	प्रति वाहन/प्रति प्रवेश
4	दुपहिया वाहन (स्कूटर/मोटर साईकिल)	10.00+GST	प्रति वाहन/प्रति प्रवेश

8– यह कि कोल्हूखेत स्थित बैरियर में मसूरी प्रवेश करने वाले वाहनो से निर्धारित ईको पर्यटन प्रवेश शुल्क वसूली की रसीद वाहन चालक को उपलब्ध करानी होगी तथा ईको पर्यटन शुल्क वसूली हेतु प्रिन्ट की गयी रसीद बुके अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा प्रमाणित कराकर जारी करनी होगी।

9– यह कि कोल्हूखेत स्थित ईको पर्यटन शुल्क वसूली वैरियर/चौकी पर सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था शान्ति पूर्वक संचालित करने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी का होगा तथा मार्ग पर किसी प्रकार का अवरोध या व्यवधान ईको पर्यटन शुल्क वसूली के करने पर न हो।

10– यह कि मसूरी ईको पर्यटन शुल्क की वसूली हेतु नगरपालिका द्वारा प्रमाणित रसीद बुक से निर्गत रसीद पर गाडी सख्या, दिनॉक, समय व शुल्क की धनराशि स्पष्ट शब्दो में अंकित करनी होगी।

11– यह कि कोल्हूखेत स्थित नाका/गुमटी/भवन के रख–रखाव एवं बिजली पानी के बिल का भुगतान ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

12– यह कि यदि ईको पर्यटन शुल्क वसूली निर्धारित धनराशि से अधिक होने की शिकायत मिलने पर जॉचोपरान्त शिकायत की पुष्टि होने पर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा पालिका द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

13– यह कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माह अप्रैल में मसूरी नगर के नागरिक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते हुए रू0 100.00 की धनराशि पालिका निधि में जमा करने के उपरान्त

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

उन्हे प्रवेश पत्र ईको पर्यटन शुल्क से मुक्त रखने हेतु अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षरो से जारी किया जायेगा।

14– यह कि उत्तराखण्ड की स्थानीय निकायो/जिला पंचायतो एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागो/निगमो आदि के शासकीय वाहनो को ईको पर्यटन शुल्क से मुक्त होगें।

15– यह कि शववाहन, एम्बुलेन्स, मालवाहक वाहन, निर्वाचन वाहन, विवाह वाहन तथा शासकीय एवं धार्मिक प्रयोजन में प्रयोग किये जाने वाले अन्य निजी वाहन भी ईको पर्यटन शुल्क से मुक्त रहेगें।

16– यह कि मसूरी नगर की स्थानीय टैक्सी चालको/एशोसिएशन को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माह अप्रैल में रू0 500.00 की धनराशि जमा करने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य जिन वाहनो को अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुज्ञा जारी की गई है वे सभी वाहन ईको पर्यटन शुल्क से मुक्त रहेगें।

17– यह कि नगरपालिका परिषद मसूरी के मा0 अध्यक्ष, सभासदो एवं अधिकारियो और कर्मचारियो के निजी वाहन ईको पर्यटन शुल्क से मुक्त रहेगें।

18– यह कि जनपद टिहरी एवं उत्तरकाशी के स्थानीय निवासी सम्बन्धी परिचय पत्र/आई0डी0 दिखाने पर इनके निजी/व्यवसायिक वाहन ईको पर्यटन शुल्क से मुक्त रहेगें।

19– यह कि कोल्हूखेत स्थित बैरियर पर ईको पर्यटन शुल्क वसूल करते समय सम्बन्धित ठेकेदार फर्म/कम्पनी द्वारा पहाडो की रानी मसूरी पर्यटन स्थल सम्बन्धी समस्त जानकारी/ब्रोशर आदि की जानकारी प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन को उपलब्ध करानी होगी तथा मसूरी से सम्बन्धित होटल एवं उनके रेट लिस्ट डिस्पले के लिए डिस्पले बोर्ड लगाना होगा।

20– यह कि कोल्हूखेत स्थित बैरियर पर आने–जाने वाले वाहनो की निगरानी अथवा डाटा रखने हेतु उत्तम क्वालिटी के सी0सी0 टी0वी0 कैमरे एवं डिस्पले मोनिटर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को लगाना होगा।

21– यह कि बाढ एवं वर्षा/दैवीय आपदा से यदि किसी प्रकार की दुर्घटना, हानि या जनहानि के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी की होगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति आदि का भुगतान भी ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा वहन करना होगा।

22– यह कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा ईको पर्यटन शुल्क वसूली हेतु नियुक्त स्टाफ की सूची नगरपालिका परिषद मसूरी को अनुबन्ध के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी तथा समय–समय पर भी स्टाफ बदलने की स्थिति से अवगत कराना होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

23– यह कि मसूरी ईको पर्यटन शुल्क वसूली के लिए नियुक्त स्टाफ को फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं सभी कर्मियो को नीली/हरी पोशाक की यूनीफोर्म में वसूली का कार्य करना अनिवार्य होगा।

24– यह कि मसूरी ईको पर्यटन शुल्क की संशोधित उपविधि–2015 का अक्षरतः पालन सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

25– यह कि भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार समय–समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा तथा समस्त करो का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

26– यह कि मसूरी ईको पर्यटन शुल्क वसूली की जॉच/औचक निरीक्षण मा0 अध्यक्ष /अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

27– यह कि जमानत की धनराशि रू0 15.00 लाख की एफ0डी0आर0 ठेका की अवधि समाप्त होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी के आदेश पर बन्धक मुक्त/वापिस की जायेगी।

28– यह कि उपरोक्त किसी भी शर्त/नियम का उल्लघंन होने पर ईको पर्यटक शुल्क संचालन का ठेका रद्द करने का अधिकार नगरपालिका परिषद मसूरी को होगा।

29– यह कि किसी भी वाद विवाद के लिए न्याय क्षेत्र जनपद–देहरादून होगा।

निविदादाता का नाम....................

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, मसूरी